अध्याय-4

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी एवं मूल्यांकन

अध्याय-4

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की निगरानी एवं मूल्यांकन

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू के पी सी बी) को राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करना था। जबकि, यू के पी सी बी ने वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान निर्धारित अवधियों के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की। नमूना जाँच किये गये दो शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट का अंतर्राज्यीय आवागमन मूल और गंतव्य दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित किए बिना किया जा रहा था। शहरी स्थानीय निकाय समय पर और नियमित रूप से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। नमूना जाँच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पांच में शिकायत पंजीकरण अभिलेखों का रख-रखाव किया जा रहा था।

4.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निष्क्रिय दृष्टिकोण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम 16 (1) (क) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करना था। तदनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में वर्ष में कम से कम दो बार उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए थी।

नीचे **तालिका-4.1** में वर्ष 2018-22 के दौरान उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में की गयी समीक्षा की स्थिति दी गई है-

तालिका-4.1: की गयी समीक्षाओं का विवरण

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	समीक्षा किए गए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	समीक्षा नहीं किये गये शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	वर्ष 2018-22 के दौरान की जाने वाली समीक्षाओं की संख्या	वास्तविक समीक्षाओं की संख्या (*प्रतिशत* में)
देहरादून	46	05	41	460	07 *(02)*
रुड़की	14	02	12	140	05 *(04)*

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	समीक्षा किए गए शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	समीक्षा नहीं किये गये शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	वर्ष 2018-22 के दौरान की जाने वाली समीक्षाओं की संख्या	वास्तविक समीक्षाओं की संख्या (*प्रतिशत* में)
हल्द्वानी	25	01	24	250	03 *(01)*
काशीपुर	17	04	13	170	05 *(03)*
कुल	**102**	**12**	**90**	**1020**	**20 *(02)***

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है:

- विगत पांच वर्षों में 88 *प्रतिशत* शहरी स्थानीय निकायों की एक बार भी समीक्षा नहीं की गयी।
- विगत पांच वर्षों में की गयी समीक्षाओं का *प्रतिशत* बहुत कम था अर्थात एक से चार *प्रतिशत* के मध्य था।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन जी टी) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश भी जारी (जनवरी 2020) किए गए थे। उक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए अंतरिम मुआवजा पैमाना[1] भी निर्धारित किया गया था। एन जी टी के निर्देशों के अनुपालन में, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हल्द्वानी क्षेत्रीय कार्यालय ने पाँच शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और ₹ 1.20 करोड़ (₹ 24 लाख प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय पर) का जुर्माना (अप्रैल 2020 में) लगाया। हालांकि, इसके मुख्यालय कार्यालय द्वारा अभी तक प्रस्तावित दण्ड (दिसम्बर 2022 तक) की स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

संयुक्त भौतिक निरीक्षणों में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निष्क्रिय दृष्टिकोण की भी पुष्टि हुई। इन भौतिक निरीक्षणों के दौरान लेखापरीक्षा ने वन भूमि में मिश्रित अपशिष्ट की डम्पिंग, राजमार्गों, नदियों, जल निकायों और कृषि भूमि के निकट

[1] इस तरह की किसी भी निरंतर विफलता के परिणामस्वरूप प्रत्येक स्थानीय निकाय को 01 अप्रैल 2020 से 10 लाख से अधिक की आबादी के लिए प्रति स्थानीय निकाय ₹ 10 लाख प्रति माह, पाँच लाख से 10 लाख के मध्य की आबादी के लिए प्रति स्थानीय निकाय पाँच लाख रुपये प्रति माह और प्रत्येक अन्य स्थानीय निकाय को एक लाख रुपये प्रति माह की दर से मुआवजा देना होगा।

अपशिष्ट डम्प किए जाने के उदाहरणों का अवलोकन किया गया। (नीचे दिये गए चित्रों को संदर्भित किया जा सकता है)।

(अ) खटीमा, उधम सिंह नगर में वन भूमि में डम्प किया गया मिश्रित अपशिष्ट

चित्र-4.1: नगर पालिका परिषद खटीमा में वन भूमि में डम्प स्थल का हवाई दृश्य (जियो टैग) (14 जनवरी 2023)

चित्र-4.2: नगर पालिका परिषद खटीमा के डम्प स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिए गये चित्र (14 जनवरी 2023)

(ब) नगर पंचायत दिनेशपुर, उधम सिंह नगर में मिश्रित अपशिष्ट को कृषि भूमि में डम्प किया गया था।

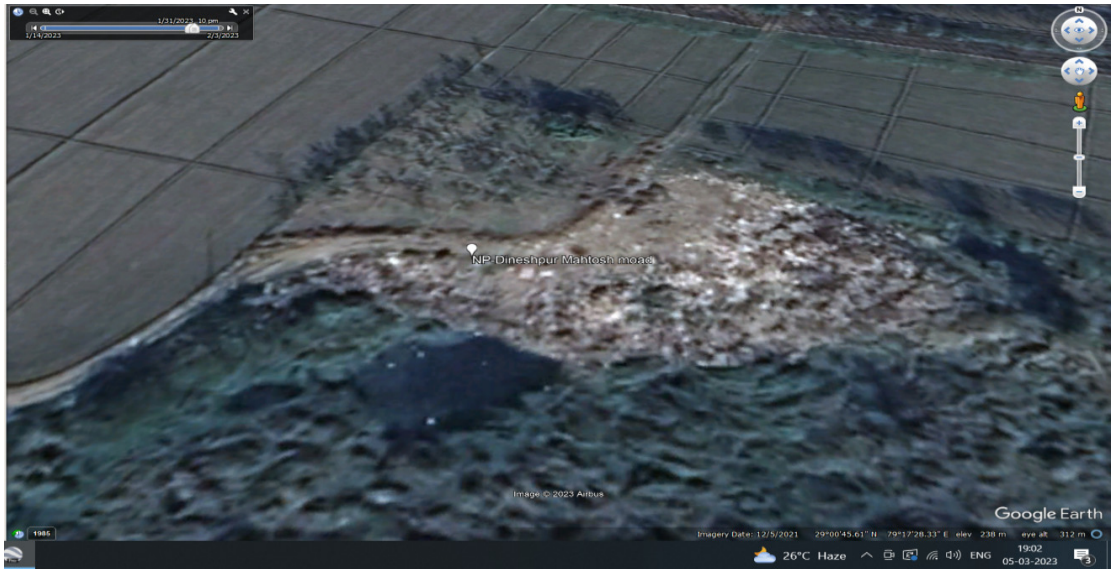

चित्र-4.3: नगर पंचायत दिनेशपुर में वन भूमि में डंप स्थल का हवाई दृश्य (जियो टैग) (31 जनवरी 2023)

चित्र-4.4: नगर पंचायत दिनेशपुर के डम्प स्थल के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिए गये चित्र (31 जनवरी 2023)

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने (दिसम्बर 2023) अवगत कराया कि मानव संसाधन की कमी के कारण कम समीक्षा की गई। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न संवर्गों/रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों का मसौदा अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। लंबित दंड प्रस्ताव के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है और शहरी स्थानीय निकायों के उत्तर मिलने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के प्रति उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निष्क्रिय दृष्टिकोण को निम्नलिखित घटनाओं से भी देखा जा सकता है-

4.1.1 क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अपशिष्ट के अंतरराज्यीय परिवहन से अनभिज्ञ रहना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 16 (6) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कर्तव्य अपशिष्ट के अंतरराज्यीय परिवहन को नियंत्रित करना था। हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचालन) नियम, 2016 का नियम 18 (3) प्रावधानित करता है कि हानिकारक और अन्य अपशिष्ट के अंतिम निस्तारण के लिए ऐसा केन्द्र, जो अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले राज्य से अलग राज्य में मौजूद हो, तक परिवहन के मामले में प्रेषक द्वारा दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट के अंतरराज्यीय परिवहन को विनियमित करने के लिए नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, सदस्य सचिव और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिम्मेदार थे।

चित्र-4.5: नगर पालिका परिषद मसूरी में ट्रकों के माध्यम से अपशिष्ट का परिवहन (10 अक्टूबर 2022)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत करवाया गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय/अन्य संस्था ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपशिष्ट के अंतरराज्यीय परिवहन के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित नहीं किया है।

तथापि, नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों के सापेक्ष दो[2] में अपशिष्ट का अंतरराज्यीय परिवहन दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित किए बिना किया जा रहा था।

[2] नगर पालिका परिषद मसूरी और नगर निगम हरिद्वार।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने (दिसम्बर 2023) सूचित किया कि शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के स्थानांतरण के बारे में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित नहीं किया था, तथापि, मामले की जाँच की जाएगी। बोर्ड ने अनुपालन के लिए निदेशक शहरी विकास और सभी शहरी स्थानीय निकायों को पत्र जारी कर दिये हैं।

4.1.2 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुमोदित निजी फर्म द्वारा पालन न किया जाना

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थापित करने और संचालित करने के लिए देहरादून वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (अनुमोदित निजी फर्म) को संयुक्त सहमति दी (मार्च 2018)। तत्पश्चात, विभिन्न निरीक्षणों और शिकायतों[3] के आधार पर, बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों/पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन को देखा और कुछ अर्थदण्ड अधिरोपित किया। हालांकि, प्रकरण के अप्रभावी अनुपालन के कारण इसे दिसम्बर 2022 तक वसूल नहीं किया जा सका, जैसा कि नीचे अवगत कराया गया है।

- पर्यावरण मानकों का अनुपालन न करने के कारण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 01 अगस्त 2018 से प्रति दिन ₹ 0.16 लाख की दर से पर्यावरण क्षति की गणना की। हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी पत्र का अनुसरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, फर्म ने किसी भी पर्यावरणीय क्षति का भुगतान नहीं किया था। सितम्बर 2022 में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद, अक्टूबर 2022 में नगर आयुक्त, देहरादून को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अवगत कराया गया था कि फर्म के वित्तीय/ प्रशासनिक प्रकरण को अंतिम रूप देने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। पर्यावरण मानकों के अनुपालन के लिए फर्म द्वारा पाँच लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, यह मार्च 2021 में समाप्त हो गई थी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बैंक गारंटी को नवीनीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।
- पर्यावरणीय मानकों का पालन न करने के लिए फर्म के विरुद्ध दिनांक 02 सितम्बर 2022 को नामित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

[3] प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019-20 में तीन बार (01 अगस्त 2019, 23 जनवरी 2020 और 19 फरवरी 2020) स्थल का निरीक्षण किया, इसके अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिकायत के आधार पर भी (03 अप्रैल 2018, 12 जुलाई 2018 और 17 फरवरी 2022) स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ए सी जे एम) देहरादून में वाद दाखिल कराया गया था। हालाँकि, मामला फर्म और नगर निगम, देहरादून के बीच अनुमोदन समझौते को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होने (जून 2022) के बाद दर्ज किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (दिसम्बर 2023) द्वारा सूचित किया गया कि कार्मिकों की कमी के कारण पहले लगाए गए जुर्माने का पालन नहीं किया गया था, हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फर्म को ₹ 1.57 करोड़ के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। जिसे शीघ्र ही वसूल कर लिया जाएगा।

4.1.3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का नियम 24(3) स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन नियमों के क्रियान्वयन और अनुपालन न करने वाले स्थानीय निकायों पर की गयी कार्यवाही सहित समेकित वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी/समीक्षा/प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी नगर आयुक्त/चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (एम एच ओ), संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और सदस्य सचिव/क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालयों/शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर रहा था और निर्धारित समय सीमा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा था। जबकि, क्षेत्रीय कार्यालयों/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों के प्रति-सत्यापन से निम्नलिखित कमियों का पता चला-

- सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समेकित वार्षिक प्रतिवेदन समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की। तदनुसार, शहरी स्थानीय निकाय, जिन्होंने नियत तिथि के पश्चात अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, के संबंध में आंकड़े राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समेकित वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मलित नहीं किए जा सके।

नमूना जाँच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पाँच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत की गयी थी।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन जमा करने/जमा न करने के संबंध में वर्ष 2017-18 में 10 शहरी स्थानीय निकायों, वर्ष 2018-19 में छह शहरी स्थानीय निकायों, वर्ष 2019-20 में तीन शहरी स्थानीय निकायों तथा वर्ष 2020-21 और 2021-22 में एक-एक शहरी स्थानीय निकायों में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- अपने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्तर में बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित समय पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों को वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित समय पर जमा करने के लिए पत्र जारी किए जाएंगे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवगत कराया (दिसम्बर 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे। वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

4.2 शिकायत निस्तारण प्रणाली

शिकायत निस्तारण प्रणाली[4] नागरिकों के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अपनी शिकायतों और आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच तैयार करती है और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर दक्षता और

[4] नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016-भाग II, प्रस्तर 6.4, शिकायत निवारण प्रणाली एक प्रभावी उपकरण है जो प्रभावी शिकायत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है और पारदर्शी तरीके से निवारण प्रक्रिया में तीव्रता लाता है।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। शहरी स्थानीय निकाय, प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के माध्यम से सेवा वितरण में कमियों की पहचान करने और उनको दूर करने में सक्षम होते है। इस प्रणाली के माध्यम से शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय और उन पर की गई कार्यवाही की निगरानी को भी अभिलेखित किया जाता है। शिकायतें प्राप्त करने के लिए कई माध्यमों या विभिन्न माध्यम के संयोजन को अपनाया जा सकता है (केंद्रीकृत ग्राहक सेवा या शिकायत नम्बर पर फोन कॉल, अधिसूचित मोबाइल नंबर पर एस एम एस, स्वचालित उत्पन्न शिकायतें आयुक्तों को उनके अभिलेख के लिए भेजी जाती हैं, कार्यालय में आकर शिकायत पंजीकरण एवं ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण)। सफाई निरीक्षक और पर्यवेक्षक, अभिलेख रख-रखाव और अनुपालन के लिए तथा नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शिकायत निवारण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे।

शिकायत निस्तारण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों की जाँच में निम्नानुसार पाया गया:

- नमूना जाँच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों के सापेक्ष केवल पाँच में शिकायत पंजीकरण अभिलेख रखे गये थे।
- इन पाँच शहरी स्थानीय निकायों में 78 से 91 *प्रतिशत* तक पंजीकृत शिकायतों का निस्तारण किया गया। शिकायतों के शेष नौ से 22 *प्रतिशत* प्रकरणों में, शिकायत पंजिकाओं में शिकायत निस्तारण टिप्पणियों का उल्लेख नहीं किया गया था।
- सभी छह चैनलों[5] का उपयोग हितधारकों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा रहा था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपर सचिव ने अवगत कराया कि अभिलेखों को बनाए जाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य

[5] नगर निगम देहरादून में पाँच चैनल (मुख्यमंत्री पोर्टल, ई-मेल, डाक, डी एम कार्यालय और टेलीफोन/एस एम एस द्वारा), नगर निगम हरिद्वार में दो चैनल (टेलीफोन तथा डी एम कार्यालय), नगर निगम रुद्रपुर में तीन चैनल (कार्यालय में आकर, मुख्यमंत्री पोर्टल तथा ई-मेल), नगर पालिका परिषद मसूरी मे दो चैनल (टेलीफोन, कार्यालय में आकर), और नगर निगम हल्द्वानी में दो चैनल (टेलीफोन तथा मुख्यमंत्री पोर्टल) प्रयुक्त किया गया था।

सरकार ने आगे उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एकल उपयोग प्लास्टिक (एस यू पी) शिकायत पोर्टल और स्वच्छता पोर्टल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शिकायतों के लिए उपलब्ध है। जबकि, तथ्य यह है कि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकाय शिकायतें प्राप्त करने के लिए नियमावली के अनुरूप कई चैनलों अथवा विभिन्न चैनलों के संयोजन का उपयोग नहीं कर रहे थे।

4.3 सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल

नियम 15 (य छ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में सूचना, शिक्षा और संचार अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं और व्यवहारों[6] पर अपशिष्ट उत्पादकों की शिक्षा के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने की परिकल्पना की गई है। आई ई सी के माध्यम से जन जागरूकता की जिम्मेदारी नगर आयुक्त/चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारी की है।

सभी 13 नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में आई ई सी गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसमें अपशिष्ट उत्पादकों को बिल, बैनर, स्टिकर, दीवार पेंटिंग आदि जारी करके 'अपशिष्ट को गीले और सूखे में अलग करने' और 'अपशिष्ट न फैलाने' के लिए प्रोत्साहित किया गया।

नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किए गये संचार के विभिन्न माध्यमों की स्थिति नीचे दिए गए **तालिका-4.2** के अनुसार थी-

---

[6] अपशिष्ट न फैलाना; कम अपशिष्ट उत्पन्न करना; संभव सीमा तक अपशिष्ट का पुनः उपयोग; अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय (पुनर्चक्रण योग्य तथा दहनयोग्य), सेनेटरी अपशिष्ट और घरेलू हानिकारक अपशिष्ट के रूप मे स्रोत पर पृथक्करण; घरेलू खाद बनाने, वर्मी-खाद बनाने, जैव-गैस उत्पादन या सामुदायिक स्तर पर खाद बनाने का अभ्यास करें, उपयोग हेतु प्रसाधन अपशिष्ट को ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराये गए पाउचों या स्थानीय निकाय द्वारा विहित उपयुक्त लपेटने वाली सामग्री मे लपेटना और इसे गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए रखे गए डिब्बों मे डालना; स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्टों का अलग-अलग डिब्बों मे भंडारण करना; अपशिष्ट बिनने वालों, अपशिष्ट संग्राहकों, पुनःचक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को पृथक्कृत अपशिष्ट सौपना और अपशिष्ट एकत्र करने वालों या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मासिक उपयोक्ता शुल्क या प्रभार का भुगतान करना।

तालिका-4.2: नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किए गये संचार के माध्यम

क्र. सं.	उपयोग किए गये संचार के माध्यम	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	
		हाँ	नहीं
1.	ऑडियो	13	0
2.	विडियो	04	09
3.	जनसंचार	10	03
4.	दीवार पेंटिंग	11	02
5.	स्कूल	11	02
6.	होर्डिंग्स	11	02
7.	पर्चे	11	02
8.	संचार के अन्य माध्यम (नुक्कड़ नाटक, बैठक, बैनर आदि)	12	01

स्रोतः जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

अपर सचिव ने बहिर्गमन गोष्ठी (सितम्बर 2023) में अवगत कराया कि नियमित और प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे। अग्रेतर, राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों को शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर लागू किया जा रहा है। 12-18 जून 2023 के मध्य उच्च न्यायालय, नैनीताल की सक्रिय भागीदारी के साथ एक विशाल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था।

यद्यपि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकाय जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहे थे, तथापि, यह जमीनी स्तर पर इतना प्रभावी नहीं था क्योंकि अपशिष्ट उठाने वालों को मिश्रित अपशिष्ट सौंपा जा रहा था, मासिक उपयोगिता शुल्क का भुगतान आदि, परिवारों द्वारा नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा था।

4.4 पर्यवेक्षण स्तर के पद में कमी के परिणामस्वरूप निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया में कमी आना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 में स्थानीय प्राधिकारियों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को परिकल्पित किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में उल्लेख किया गया है कि शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी (नगर आयुक्त, सचिव, या अधिशासी अधिकारी) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार

हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के प्रमुख, निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं।

अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट है कि नमूना जाँच किये गये 13 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के पर्यवेक्षण संवर्गों में शून्य से 100 *प्रतिशत* रिक्तियां थीं, जैसा की नीचे **तालिका-4.3** में दिया गया है:

तालिका-4.3: नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पर्यवेक्षण स्तर में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति (मार्च 2022 के अनुसार)

पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त *(प्रतिशत* में)
सहायक नगर आयुक्त	06	06	0
अधिशासी अधिकारी	11	10	01 ***(09)***
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी	02	02	0
ज़ोनल सफाई अधिकारी	06	00	06 ***(100)***
मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक	46	17	29 ***(63)***
पर्यावरण पर्यवेक्षक (सफाई नायक)	135	97	38 ***(28)***

स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

जबकि, जोनल सफाई अधिकारी के स्तर पर 100 *प्रतिशत*, मुख्य सफाई निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक के स्तर पर 63 *प्रतिशत* और पर्यावरण पर्यवेक्षक के स्तर पर 28 *प्रतिशत* पद रिक्त थे। पर्यवेक्षण स्तर पर रिक्तियों के कारण शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी थी जैसे कि अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं, स्रोत पर पृथक्करण केवल आंशिक रूप से किया गया था और सामग्री आदि की आंशिक रूप से पुनर्प्राप्ति की गई थी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2023) कि 102 निकायों में कुल 816 रिक्तियों के सापेक्ष 515 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

4.5 अनुशंसाएँ

- ***राज्य सरकार को लगातार सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अप्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के हानिकारक प्रभावों के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।***

- ***राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में शामिल सभी संबंधित पक्ष अपनी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें और निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु क्रियान्यवयन की समीक्षा, मानकों के अनुरूप की जाए।***
- ***राज्य सरकार वैज्ञानिक रूप से प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के कार्यभार का आकलन कर सकती है और तद्नुसार मानव संसाधन की स्वीकृति/ तैनाती कर सकती है।***

देहरादून
दिनांक: 4 अक्टूबर 2024

(प्रवीन्द्र यादव)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 7 अक्टूबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक